पालनाघर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु

विज्ञापन का प्रारूपः–

समहरणालय,जमुई।

विज्ञापन संख्या–1/24

प्रबंध निदेशक,महिला एवं बाल विकास निगम,बिहार पटना के पत्रांक–**WCDC/1882/23** दिनांक–9/8/23 के आलोक में पालनाघर,जमुई के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	योग्यता/ अहर्ता	पदों की संख्या	कोटि	आयु	मूल मानदेय
1.	क्रेच वर्कर	शैक्षणिक योग्यताः– स्नातक उत्तीर्ण। अनुभवः– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आँगनबाड़ी/प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। उम्र–40 वर्ष।(महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	40 वर्ष	14,730/–
2.	सहायक क्रेच वर्कर	शैक्षणिक योग्यताः– बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट। अनुभवः– बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र–40 वर्ष।(महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	40 वर्ष	11,640/–

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. अभ्यर्थी को बिहार का अधिवास होना आवश्यक है।
3. उम्र सीमाः–संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी।
   अनारक्षित वर्ग (महिला हेतु आरक्षित) – 40 वर्ष
4. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
5. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी,जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे।
6. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता,कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।
7. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. सरकारी/अर्ध –सरकारी अथवा गैर–सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यानुभवन की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की मान्य होगा।
9. क्रेच वर्कर एंव सहायक क्रेच वर्कर पदों पर नियोजन योजना आधारित अस्थायी प्रकृति का होगा।
10. नियोजन के समय उपलब्ध करायी गई सूचनाओं के गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।
11. मार्गदर्शिका में विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जायेगा तथा 01 वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी,इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी,जिसके आधार पर संविदा अवधि के विस्तार संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।

12. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हें देय होगा,इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एंव सुविधा के हकदार नहीं होगे।
13. सभी कार्यदिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालना की सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी कर्मियों को संयुक्त रूप से होगी।
14. सरकारी अवकाश में पालनाघर बंद होने के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा।
15. पालनाघर की गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेवारी कर्मियों की होगी। पालनाघर बच्चों से संबंधित जानकारी एवं बच्चों का फोटो किसी से भी साझा नहीं करेंगी।
16. पालनाघर में बच्चों को रखने के लिए कर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा एवं लाभ बच्चों के अभिभावको से नहीं लिया जायेगा। इस तरह कोई सूचना प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
17. निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित **Email ID** एवं जिला के **NIC** वेबसाइट **https://jamui.nic.in** पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
18. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार,जिला पदाधिकारी,जमुई के अधीन है। जिला पदाधिकारी,जमुई विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।
19. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनो तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए **E-mail- dpo.jamui@gmail.com** पर अपराहन 5:00 बजे तक समर्पित करेंगे। प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा।उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
20. एक से अधिक पदो के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।
21. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगे।
22. अभ्यर्थी, विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओ हेतु नियमित रूप से जिला **NIC** के **https://jamui.nic.in** वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

अनुलग्नकः—3

आवेदन —प्रपत्र

विज्ञापन संख्या—01 / 24

1. आवेदित पद का नाम...
2. अभ्यर्थी का नाम...
3. जन्म तिथि ....
4. माता का नाम...
5. पिता / पति का नाम...
6. आधार कार्ड नम्बर ....
7. स्थायी आवास का पूरा पता(जिला के नाम के साथ)..
8. पत्राचार का पता..
9. श्रेणीः— सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐
   अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐
10. मोबाईल नंबर ....
11. ई—मेल आईडी...
12. शैक्षणिक विवरणीः—

क्र0 सं0	शिक्षा	विषय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1.	मैट्रिक					
2.	इंटर					
3.	स्नातक(प्रतिष्ठा का विषय)					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	अन्य					

13. कार्य अनुभवः—

क्र0सं0	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी

14. संलग्न किये गये कागजती की सूचीः—

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

घोषणाः— उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांकः—

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर